



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 18 अप्रैल 2025**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देवेश पुत्र जयपाल निवासी देवीका नगला थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में अपनी पत्नी नीलम से अतिरिक्त दहेज की मांग करना व मांग पूरी न होने पर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2020 को थाना डिबाई पर मुअसं- 274/20 धारा 498ए, 304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.09.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 18.04.2025 को न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देवेश उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री भूपेन्द्र सिंह राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**